


25



कार्यालय तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी जनगणना
लोरमी जिला-मुंगेली (छ.ग.)

ज्ञापन

Man
19.4.18
ADC (cen.)

क्रमांक / क / तह / जनगणना / प्रकोष्ठ / 18 20 - लोरमी, दिनांक / 13 / 04 / 2018

प्रति,

निदेशक जनगणना
कार्य निदेशालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

ym
23/4/18
(cen)

विषय:-

भारत की जनगणना 2021 के लिए योजना क्षेत्राधिकार में हुये परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची सत्यापन बाबत।

संदर्भ:-

आपका पत्र क/आई11011/1/2018-जन-डीसीओ (छ.ग)/एच-1409
दिनांक 01.02.2018

संदर्भित पत्र के माध्यम से निदेशालय के द्वारा जनगणना-2011 के अनुसार तहसील लोरमी स्थित 265 ग्रामों की सूची आपकी ओर सत्यापन कर प्रेषित की जा रही। अतः आप से निवेदन है कि सूची में सुधार हेतु लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है। उन ग्रामों की सूची में सुधार करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Man
तहसीलदार लोरमी
तहसीलदार
जिला-मुंगेली (छ.ग.)
लोरमी

क्रमांक	ग्राम कोड (ज.न. 2011 के अनुसार)	गणना ब्लाक एवं नम्बर	लुप्त गांव का नाम	रिर्मांक
1	2	3	4	5
1	6009	बोईरहा 0401	—	वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन अधिसूचना संलग्न है।
2	6002	बिजराकछार 0393	मजुरहा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन अधिसूचना संलग्न है।
3	6004	डगनिया 0397	बिसोनी	वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन अधिसूचना संलग्न है।
4	6008	औरापानी 0400	सरसोहा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन अधिसूचना संलग्न है।
5	6002	बिजराकछार 0393	मौहामाचा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन अधिसूचना संलग्न है।

- टीप:- 1. ग्राम गौरीहा तहसील लोरमी में इस नाम का ग्राम स्थित नहीं है उक्त ग्राम बोईरहा है। जो त्रुटिवश बोईरहा के स्थान पर गौरीहा हो गया था जिसका एमडीडीएस कोड 437881 जिसे सुधार करने को कष्ट करे।
2. ग्राम कुकरीपानी एवं न्यू कूबा इस जिले में स्थित नहीं है उक्त का अधिसूचना संलग्न है।

जनगणना लिपिक का नाम
महेन्द्र सिंह राजपूत सहा

ग्रेड 02
मोबाईल नं. 7415602092

तहसीलदार लोरमी

जिला-मुंगेली (म.प्र.)

तहसीलदार का हस्ताक्षर दिनांक एवं मुहर सहित
तहसीलदार का नाम मुकेश देवांगन

मोबाईल नं. 7974547030

ई मेल

कार्यालय का दूरभाष नं.(एसटीडी सहित)

ई मेल

कार्यालय का पूर्ण पता-तहसील कार्यालय

लोरमी ग्राम पों0 लोरमी तहसील लोरमी जिला

मुंगेली पिन कोड 495115

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bijarakachhar	140.430	North-Bijranala South- Kilkila nala Comptt. No. 477 East-Bhuku nala West- Comptt. No. 476	33	Bijarakachhar	Lormi	Mungeli

Collector,
District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मोहामाचा	168.525	उत्तर-कक्ष क्र. 476 एवं वनमार्ग सलग्नी. दक्षिण-कक्ष क्र. 479 पूर्व-कक्ष क्र. 476 एवं सरगढ़ी वनमार्ग. पश्चिम-कक्ष क्र. 479 एवं झिरिया वनमार्ग.	33	बिजराकछार	लोर्मो	मुंगेली

कलेक्टर,
जिला-मुंगेली.

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mauhamacha	168.525	North-Comptt. No. 476 & Forest road Salgi. South- Comptt. No. 479 East-Comptt. No. 476 & Sargadi forest road. West- Comptt. No. 479 & Jhiriya forest road.	33	Bijarakachhar	Lorimi	Mungeli

Collector,
District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोदस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वनग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	डगनिया	355.100	उत्तर-कक्ष क्र. 452 दक्षिण-बांध पूर्व-वनग्राम महामाई पश्चिम-आश्रित ग्राम सरसोहा	33	बिजराकछार	लोरमी	मुंगेली

कलेक्टर,
जिला-मुंगेली

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Danganiya	355.100	North-Comptt. No. 452 South- Daim East-Forest vill. Mahamai West- Vill. Sarsoha	33	Bijarakachhar	Lormi	Mungeli

Collector,
District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बिसौनी	63.322	उत्तर-डगनिया वनमार्ग दक्षिण-खुडिया बांध पूर्व-कक्ष क्र. 454 पश्चिम-कक्ष क्र. 456	33	बिजराकछार	लोरमी	मुंगेली

कलेक्टर,
जिला मुंगेली.

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bisauni	63.322	North-Forest road Danganiya. South- Khudiya Daim East-Comptt. No. 454 West- Comptt. No. 456	33	Bijarakachhar	Lormi	Mungeli

Collector,
District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सरसोहा	164.816	उत्तर-डगनिया वनमार्ग दक्षिण-खुडिया बांध पूर्व-खोखल नाला, डगनिया ग्राम पश्चिम-कक्ष क्र. 454	33	बिजराकछार	लोरमी	मुंगेली

कलेक्टर,
जिला-मुंगेली.

Mungeli, the 13th January 2014.

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sarsoha	164.816	North-Danganiya forest road. South- Khudiya Daim East-Khokhal nala, Danganiya Village. West- Comptt. No. 454	33	Bijarakachhar	Lormi	Mungeli

Collector,
District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	चकदा	71.629	उत्तर-कक्ष क्र. 427 दक्षिण-कक्ष क्र. 473 पूर्व-कक्ष क्र. 457 पश्चिम-कक्ष क्र. 461	33	बिजराकछार	लोरमी	मुंगेली

कलेक्टर,
जिला-मुंगेली.

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F-4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Chakda	71.629	North-Comptt. No. 427 South- Comptt. No. 473 East-Comptt. No. 457 West- Comptt. No. 461	33	Bijarakachhar	Lorri	Mungeli

Collector,
District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/चा. कले./2013-14/262.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मंजुरहा	220.400	उत्तर-चकदा नाला दक्षिण-कक्ष क्र. 474 पूर्व-खुड़िया बांध पश्चिम-चकदा वनमार्ग	33	बिजराकछार	लोरमी	मुंगेली

कलेक्टर,
जिला-मुंगेली.

Mungeli, the 13th January 2014

NOTIFICATION

No./R. Coll./2013-14/262.— Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Mungeli (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 reads with section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Manjuraha	220.400	North-Chakda nala South- Comptt. No. 474 East-Khudiya Daim West- Chakda forest road	33	Bijarakachhar	Lorahi	Mungeli

Collector,
District-Mungeli.

मुंगेली, दिनांक 13 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/वा. कले./2013-14/262.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति जिला मुंगेली के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वनग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वनग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	निवासखार	215.500	उत्तर-कक्ष क्र. 504 दक्षिण-कक्ष क्र. 443 पूर्व-कक्ष क्र. 441 पश्चिम-नदी	25	निवासखार	लोरमी	मुंगेली

कलेक्टर,
जिला-मुंगेली.